प्ररूप—02

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नागौर

क्रमांक – शिविना / प्रार. / सा–1 / मान्यता नवीनीकरण / आरटीई / 2015–2016 / 683 दिनांक– 13-7-16

संस्था का नाम माला कमला पत सिंघानिया एज्यूकेशन सेन्टर गोठन मेड़ता

पंचायत समिति मेड़ता

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 15 क उपनियम (4)के अधीन विधालय के लिए मान्यता प्रमाण –प्रत्र।

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 31.12.15 से पूर्व आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से माला कमला पत सिंघानिया एज्यूकेशन सेन्टर गोठन मेड़ता पंचायत समिति मेड़ता जिला नागौर को वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 01 से 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता (माध्यम अंग्रेजी) प्रदान की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1. संस्था सत्र 2015–16 में कक्षा 8 तक संचालित करेगी।
2. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा– 8 के पश्चात् मान्यता / संवर्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।
3. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
4. विधालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहिन समूह के बालकों का प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
5. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
6. सोसायटी / विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता / पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
7. विधालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

   विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

   1. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन से अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   5. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधीकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ हो चुकी है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतताएं अर्जित करेंगे।
   7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
   8. अध्यापक स्वय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों के नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

\\com2\COM2 E\ALL OLD DATA\Year 2016\Feb 2016\Acdamic\Arjun singh ji\RTE MANYATA\FORMATE RTE.docx

अ–. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

ब– कुल निर्मित क्षेत्र

स– क्रिड़ा स्थल का क्षेत्रफल

द–कक्षाओं की संख्या

य– प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष

र– बालक और बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय

ल– पेयजल सुविधा

व– मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई

ह– बाधारहित पहुंच

स– अध्यापन पठन सामग्री / क्रिया खेल–कूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं यथा क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा।
12. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकृत नियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
14. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवायी जानी चाहिए
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 1622 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो को सुनिश्चित किया जावे।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर
दिनांक: ~~21.04.2016~~ 13-7-16

क्रमांक – सम / 2015–2016 / 683

प्रतिलिपि:–
1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, मेड़ता ।
2. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर

\\com2\COM2 E\ALL OLD DATA\Year 2016\Feb 2016\Acdamic\Arjun singh ji\RTE MANYATA\FORMATE RTE.docx